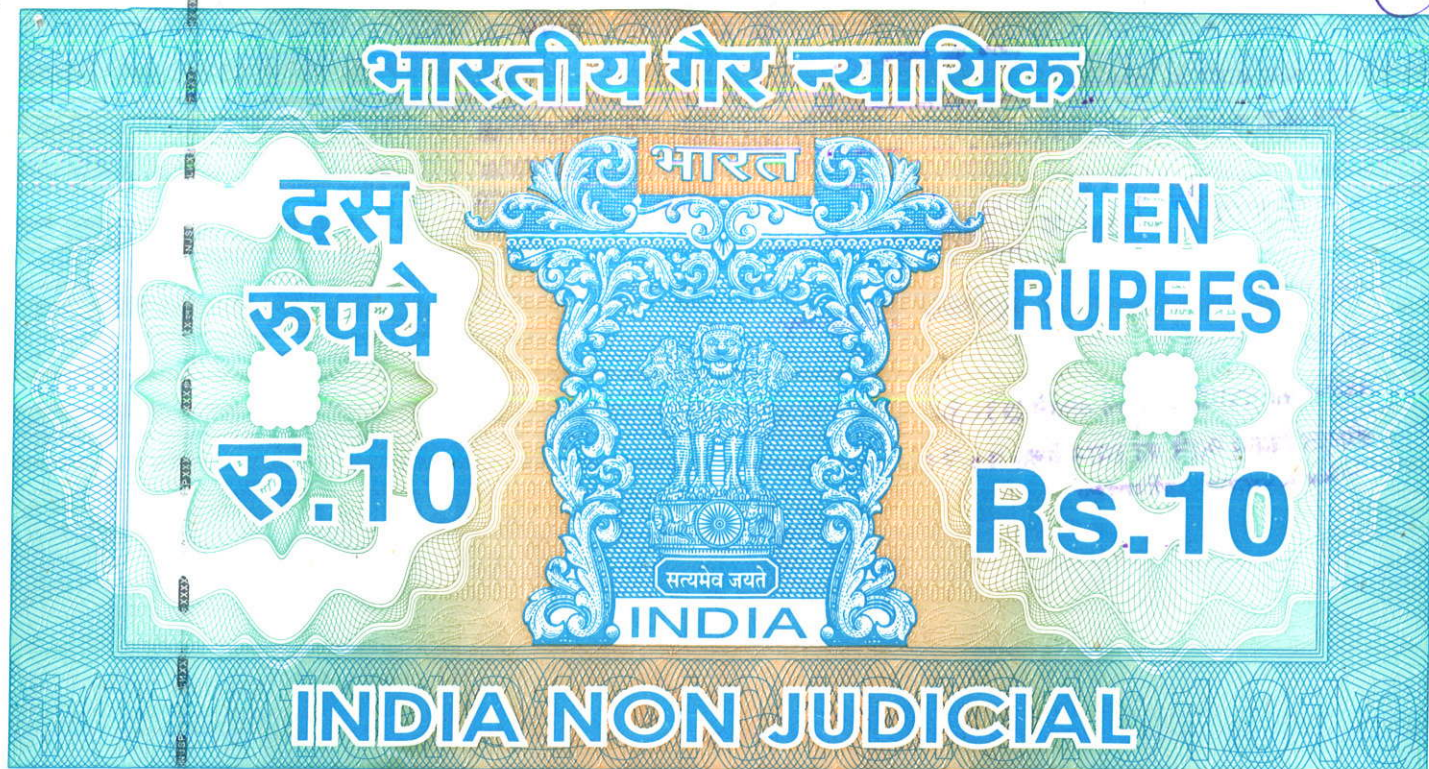


56



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AE 287785

सत्यप्रतिलिपि पर देय स्टांप् १०

कुल पृष्ठ १०

सत्यप्रतिलिपि का क्रमांक 5506/4

सत्यप्रतिलिपि

पढ़ा.....

सुना.....

रक्त रजिस्ट्रार प्रकाश

343

22 MAR 2022

कम कर का प्रमाण

कम कर का प्रमाण

Bhupesh Kr. Sharma

Deed Writer

Ch. No-56, Tehsil Compound GZB.

र 10 = 3

संजय कुमार शर्मा

संजय कुमार शर्मा

संजय कुमार शर्मा

संजय कुमार शर्मा

संजय कुमार शर्मा

संजय कुमार शर्मा

संजय कुमार शर्मा

संजय कुमार शर्मा



विक्रय पत्र अंकन 900000/- रुपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण- मवाजी तीन बोधा छः सहो दो बटा तीन
विस्वा पुखता अर्थात् दस बोधा खाम यानो 10080 वर्ग गज भूमि
स्थित ग्राम मिर्जा पुर परगना लोनो तहसील व जिला गाजियाबाद।
हम कि सुरेन्द्र मोहन हंस पुत्र श्री रतन लाल हंस निवासी डी-19,
माडल टाउन, देहली प्रथम पक्ष विक्रेता ।

इस विक्रय पत्र में मुझ विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारी
एवं वेधानि नक व न्यायाधिक प्रीति नीधगप सोममिलत समझे जावेंगे ।
व काफ़ी सहकारी आवास समीति लि० गाजियाबाद जिसकी पंजीकृत
संख्या-1324 दिनांक 25.4.90 तथा पंजीकृत कार्यालय 39-ए, सैक्टर-1।
विक्रय नगर कालौनो, गाजियाबाद छे द्वारा अध्यक्ष श्री वो.के.शर्मा
पुत्र श्री वो.आर.शर्मा निवासी ब्लाक नं.20, क्वार्टर नम्बर-619,
डो.डो.ए.फ्लैट्स, कालकाजी, नई दिल्ली द्वितीयपक्ष क्रेता समीति ।

विदित हो कि ग्राम मिर्जा पुर परगना लोनो
तहसील व जिला गाजियाबाद में छाता नम्बर-697 खतरा नम्बर-

विक्रेता वाला.....
पुकारवाला का.....

सत्यप्रतिलिपि

पढा

2,

201/3/1 मि. स्कबई तीन बोधा छः सडो दो बटा तीन विस्वां
पुखता भूमि का विक्रेता मालिक व कांज व भूमिधर है, जो आज
दिन तक मुझ विक्रेता को ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारो
देनदारो व अन्य लोन आदि से मुक्त है, कही अन्य जगह आड, रहन,
ब्य, हिबे, महायदाब्य आदि में गस्त नही है, मालिकयत मुझ विक्रेता
में कोई दोष व त्रुटि नही है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है,
लेण्ड सर्वोपनिशान सफ्ट 1894 को किसी धारि में अधिगृहण कराये
जाने हेतु गस्त नही है, विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण
अधिकार है, अतः मैंने अपनी सुखी व रजामन्दो शुद्ध छीछ व स्वस्थ
इन्द्रियों के साथ उपरोक्त भूमि को मेरे तमामो डकूक मालकाना
दाखली व धारजो हर किसम मेरे कब्जा आदि आदि को आज को
तारीख में बदले अंकन 9,00,000/- रुपये १ नो लाख रुपये आदि
जिसके अंकन 4,50,000/- रुपये होते हैं में बहक काफ़ी सहकारो
आवात सीमित लि० गाजियाबाद उक्त क्रेता सीमित के बय कतई
कर दिया ओर बेच दिया ओर कुल धनराशो निम्न प्रकार वसूल





पढ़ने वाला नि.लि.
मुकाबलो को नि.लि.

सज राशि

सत्यप्रतिलिपि

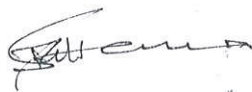
पढ़ा.....

सुना.....



3,

पा लो । अब इकरार यह है कि-विक्रय भूमि को मिलिकित
व उसके मूल्यधन तथा किसी अंश से मुझ विक्रेता व मेरे वारसान
का कोई सम्बंध बाकी नहीं रहा है न कभी होगा । कब्जामोके
पर क्रेता सीमित का वास्तविक रूप से करा दिया है, जिसकी
वो पूर्णतः स्वाधिनो बन गयी है, उनकी सर्वथा अधिकार है कि
जिस प्रकार चाहे ज़ेहिसयत मालकाना प्रयोग में लावे । राजपत्रों
में क्रेता सीमित का नाम दर्ज करा दूंगा, वरना वो स्वयं दर्ज
कराले । यदि आज दिन तक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय
भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्व व स्वाधिकार बताया गया
और क्रेता सीमित के स्वाधिनत्व अधिपत्य में किसी प्रकार को
बाधा डाली गयी अथवा मुझ विक्रेता के अनाधिकार से या मेरे
वारसान को दावेदारों आदि से या किसी कानूनी नुकस वजह
नामालूम से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता सीमित
के कब्जे मालकाना से निकल जावेगा तो हरू ऐसी दशा के





पढ़ने वाला नि.लि.
हस्ताक्षर करने वाला नि.लि.

सत्यप्रतिनिधि

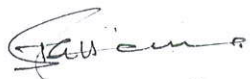
पढ़ा

सुना



4,

उपीस्थित होने पर क्रेता समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार को तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मये सूद कानुनो न्यायालय द्वारा मये हरेज उरये व नुकसान सहित मुझ विक्रेता व मेरे वारसान की चल अवल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करले । बाजारी कोमत यहो है आस पास भाव 90000/-रुपये प्रति बोघा छाम है, उपरोक्त भूमि को क्रेता समिति ने अपने उद्देश्यों को पूर्ति हेतु तथा अपने मैम्बरान आदि को कालौनी खाने के विचार से क्रय को है, इसलिये स्टाम्प व शुल्क का भार क्रेता समिति परहै जो कि सरकारी अधिसूचना संख्या-1658/ द स-33/75 दिनांक 17 जून 1978 का अतिक्रमप करके उक्त अधिनियम के अधोन प्रभार्य स्टाम्प व शुल्क से मुक्त है, क्योंकि उपरोक्त समिति, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 संख्या-11, 1966 को धारा 28 को उपधारा 1 के अधोन निखीन्दत है । उपरोक्त ग्राम में चकबन्दी नहो हुई है, क्रेता के पास उत्तर प्रदेश में साडे बारह एकड़ भूमि





वकील याता नि.लि.

उकानवा की नि.लि.

सच

सत्यप्रतिलिपि

पढा

सनी



5,

नही है, अतः 168११ व 154१2 जेड.र.स्त.आर.सूट के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

अतः यह विषय पुनर्निर्णय दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे हीता।

विवरण वसूलयाबी कुल धनराशो का : कुल धनराशो पेशागी वसूल पा लो।

उक्त फोटो का सत्यापन राकेशदत्त कौशिक ने किया

Shyam Sunder

यही हैं नवीस गारजियाबादा

Ol Sharma

गवाह नं.1

गवाह नं.2

Shyam Sunder

(SHYAM SENDER SIKKA)

S/O Sh. P. L. Sikka

2859, Shambhar Gali

Sita Ram Bazar, Jallandhar

Shyam Sunder

दिनांक 20.6.90 मुखौदा राकेशदत्त कौशिक वसुकेनवीस गारजियाबादा।
टाइपीकिया

॥ धनश्याम शर्मा ॥

पहले वाला

नि.लि.

दुसरे वाला

नि.लि.

सब सहित

सत्यप्रतिलिपि

पढ़ा

सुना

भाज दिनांक 20-6-90 को फोटो स्टेट प्रॉप
 पुस्तक संख्या I खण्ड 142
 के पृष्ठ 225/234 पृ. क्रम संख्या 10114
 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

[Signature]
 सत्य सचिव

सत्यप्रतिलिपि
 पढ़ा.....
 सुना.....

सत्य सचिव प्रथम
 गाजिपुर

बोधो न I जल्द 4348
 5 जुलै 11/43 में

10114 पर राज प्रॉप 10/8/94

उत्तरी सीट के अंगिका 512



विक्रय
 विक्रय
 विक्रय
 परगना
 हन वि
 माडल
 उत्तरा
 समझ ज
 व उत्त
 जिसकी
 1196,
 प्रदेश 3
 अध्यक्ष
 1196,
 विक्रय